25/4/2022 वकील फरीकेन उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली के विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर रिक फीता जावे रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु.न.
09 / 20

आर.सी.एस न0
2020 / 00036

तारीख रजू
24.06.2020

पीठासीन अधिकारीः— श्री धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

कैलाश पुत्र शोभा जाति खटीक निवासी मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली

सायल

बनाम

पूरण पुत्र शोभा जाति खटीक निवासी मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक : 25.04.2022

पत्रावली पेश हुयी। वकील फरीकेन उपिस्थत वहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायल का वहस में कथन है कि ख.नं. 1037, 1038 कुल किता 2 कुल रकवा 11 विस्वा ग्राम मासलपुर तहसील मासलपुर सायल व गैरसायल के संयुक्त खातेदारी व काश्त की है जिसमें सायल व गैरसायल का समान हिस्स 1/2, 1/2 है जो लवे सडक मासलपुर करौली बस स्टैण्ड पर है जिसके पूर्व दिशा की 1/2 हिस्सा सायल के हिस्से रखी गयी है। जिसका अभी तक मीटस एण्ड बाउण्डस बटवारा नही हुआ है। कुल 12 दुकान सायल व गैरसायल के संयुक्त निर्माण करायी है। दुकानों के पीछे के भूमि संयुक्त है। गैरसायल भूमि में बिना बटवारा किये निर्माण करने पर आमदा है और दि. 8—6—2020 से निर्माण के लिए नींव खुदवाना प्रारम्भ कर दिया सायल के मना करने की गैरसायल ने ऐलानिया कहा है व धमकी दी है जिससे हक हकूक सायल पर भारी आघात है सायल को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है।सायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गैरसायल को ताफैसला वादपत्र कराने का अधिकारी है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल स्वीकार किया जावे।

वकील गैरसायल का वहस में कथन है कि विवादित भूमि का मौके पर बटवारा हो चुका है सायल अपने हिस्से पर काविज है। केवल राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त इन्द्राज होने से वटवारे को सायल द्वारा नकारने की वदयान्ति है दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से वाहर है क्योकि पुख्ता तामीर का वटवारा केवल दीवानी अदालत द्वारा ही किया जाना सम्भव है।सायल दुकान 11 व 12 पर काविज है। 12 दुकान गैरसायल ने वनाई है।सायल गैरसायल के विरूद्व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल खारिज किया जावे।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमावंदी व दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिससे वादग्रस्त भूमि मे 12 दुकानें वनी होना उभय पक्ष का स्वीकृत है जिससे भुमि आवादी उपयोग में आना प्रकट है आवादी व कृषि भूमि दोनो का मिश्रत का दावा वटवारा दीवानी न्यायालय के हो सुनवाई योग्य है राजस्व न्यायालय के सुनवाई योग्य नही होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावा के साथ संलग्न हो। आदेश सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 25/4/2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner